संख्या-23/2018/103/78-1-2018-106आई0टी0/2016

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 07 मार्च, 2018

विषयः इन्क्युबेटर्स को बढावा देने तथा स्टार्ट-अप्स को संगठित करने हेतु प्रारम्भिक निधि (सीड-फण्ड) मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी के पत्र संख्या-आईपीसीपीः9064(2017-18), दिनांक 18 जनवरी, 2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुपूरक द्वारा नई मांग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में इन्क्युबेटर्स को बढावा देने तथा स्टार्ट-अप्स को संगठित करने हेतु प्रारम्भिक निधि (सीड-फण्ड) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। यदि इस धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज की धनराशि प्रोजेक्ट की धनराशि होगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण तात्कालीन आवश्यकता एवं एम0ओ0यू0 की शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रशासकीय विभाग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(8) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-''2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-05-इन्क्यूबेटर्स को बढावा देने तथा स्टार्ट-अप्स को संगठित करने हेतु प्राराम्भिक निधि(सीड-फण्ड)-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के आशा0 संख्या-ई-6-81/दस-2018, दिनांक 19-02-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2018/103(1)/78-1-2018 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।
10- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2
13- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।